हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी
करण कुमार / राज्य सरकार दावा 18/2/25 आज पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वाद डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली रहे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर डिक्री जारी हो, बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। [signature] **सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)** **मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)**	

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार बलाई

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
83/2020	21.10.2020	18.02.2025

बउनवान

1. कृष्ण कुमार पुत्र दिलसुख जाति कुम्हार निवासी सौरखा कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: प्रतिवादी

दावा
इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री रामावतार चौधरी :— वादी अधिवक्ता

वादी के वाद का सार निम्न प्रकार से है कि :—

1. यह है कि आराजी खाता सं० 50 में वर्णीत हाल खं०नम्बरान 717 रकबा 0.25 हैक0, 718 रकबा 0.28 हैक०, किता 2 रकबा 0.53 हैक०, व खाता सं० 49 में वर्णीत खं० नंम्बरान 600 रकबा 0.34 हैक0, 597 रकबा 0.21 हैक0, किता 2 रकबा 0.55 हैक0, वाके ग्राम सौरखा कलां तहसील मुण्डावर में स्थित है। जो इस वाद में विवादित आराजी कहलायेगी।
2. यह है कि वादी कृष्ण कुमार सूरजभान व उसकी पत्नी चिडिया निवासी गादोज का जायज पुत्र है परन्तु मिन वादी का पिता मिन वादी के बच्चपन में ही फौत हो गया, जिस पर मिन वादी की माता दिलसुख पुत्र ग्यारसा निवासी सौरखा कलां के नाते बैठ गई, तब से मिन वादी को दिलसुख ने अपना पुत्र मानते हुये अपने पास ही रख लिया था तथा दिलसुख ने ही मिन वादी का पालन पोषण व पढाई लिखाई अपने पुत्र की तरह ही कराई थी, तथा दिलसुख को मिन वादी अपना

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

पिता की तरह ही मानता था एवं सेवा टहल की और फौत होने के बाद उसके समस्त सामाजिक व धार्मिक किया कम भी मिन वादी ने किया था। मिन वादी के समस्त दस्तावेजात जैसें स्कूल में, राशन कार्ड में, वोटिंग लिस्ट आदि में कृष्ण कुमार पुत्र दिलसुख कुम्हार निवासी सौरखा कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर दर्ज है। तथा स्थायी रूप से यही निवास कर रहा हूँ।

3. यह है कि मिन वादी दिलसुख की समस्त चल व अचल सम्पत्ति पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है तथा दिलसुख की अपने पिता की तरह सेवा टहल की है, जिससे दिलसुख खुश होकर मिन वादी के नाम अपनी समस्त आराजी की वसीयत दिनांक 20/9/2001 को उप पंजियक कार्यालय मुण्डावर से तस्दीक करा दी।
4. यह है कि मिन वादी के पिता दिलसुख के फौत होने पर ग्राम पंचायत ने विरास्त इन्तकाल दर्ज करते समय कुछ आराजी खं०नं0 522, 611, 502 में इन्तकाल सही दर्ज कर दिया परन्तु कुछ नम्बरान खाता सं० 50 में वर्णीत हाल खं०नम्बरान 717 रकबा 0.25 हैक्0, 718 रकबा 0.28 हैक्०, किता 2 रकबा 0.53 हैक्०, व खाता सं0 49 में वर्णीत खं० नंम्बरान 600 रकबा 0.34 हैक्0, 597 रकबा 0.21 हैक्, किता 2 रकबा 0.55 हैक्०, में मिन वादी का नाम तो सही दर्ज कर दिया परन्तु पिता का नाम सूरजभान कुम्हार निवासी गादोज तह० बहरोड दर्ज कर दिया, जो खिलाफ कानून व खिलाफ मौका दर्ज किया है। जबकी कृष्ण कुमार पुत्र दिलसुख कुम्हार निवासी सौरखा दर्ज किया जाना चाहीए था। इसलिए मिन वादी दुरूस्त कराने का अधिकारी है। इसलिए दावा इश्तकरारहक मय दूरूस्ती पेश करना लाजिमी आया है।
5. यह है कि उक्त गलत इन्द्राज की वादी को जानकारी नही थी, परन्तु मिन वादी अब कृषि कार्ड बनवाने हेतु पटवारी हल्का से दिनांक 20/4/2012 को सर्म्पक किया तो पटवारी हल्का ने गलत इन्द्राज की जानकारी दी, जिस पर मैं राजस्व रिर्कोड की नकल प्राप्त कर दिनांक 5/05/2012 को तहसीलदार मुण्डावर को राजस्व रिर्कोड दूरूस्त करने बाबत कहा तो श्रीमान तहसीलदार ने राजस्व रिकॉड दूरूस्त करने से साफ मना कर दिया और कहा कि अदालत से आदेश करावे। इसलिए यही बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा होकर दावा अन्दर अवधि पेश है।

वादी ने अपने वाद पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि :–
अतः प्रार्थना है कि वाद वादी बरखिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे।

(अ) यह है कि डिकी इश्तकरारहक मय दूरूस्ती इस अमर की पारित की जावे कि खाता सं0 50 में वर्णीत हाल खं० नम्बरान 717 रकबा 0.25 हैक्0, 718 रकबा 0.28 हैक्०, किता 2 रकबा 0.53 हैक्०, व खाता सं० 49 में वर्णीत खं० नंम्बरान 600 रकबा

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

0.34 हैक0, 597 रकबा 0.21 हैक0, किता 2 रकबा 0.55 हैक0, वाके ग्राम सौरखा कलां तहसील जिला अलवर में कृष्ण कुमार पुत्र सूरजभान कुम्हार निवासी गादोज तह0 बहरोड को हजफ किया जाकर कृष्ण कुमार पुत्र दिलसुख कुम्हार निवासी सौरखा कलां दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉड दुरुस्त फरमाया जावे।
(ब) अन्य दादरसी बनजदीक अदालत श्रीमान उचित समझे बख्शी जावे।

वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी की विधिवित रूप से तामिल करवाई गई। विधिवत रूप से तामिल होने के बाद प्रतिवादी ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत करने में असमर्थ रहने के कारण जबाव बन्द किया गया।

वादी ने अपने वाद के समर्थन में प्रदर्श–1 वसीयत पत्र दिनांक 20.09.2001, प्रदर्श–2 नकल इन्तकाल, प्रदर्श–3 अंक तालिका, प्रदर्श–4 नकल जमाबन्दी 2065 से 2068, प्रदर्श–5 नकल जमाबन्दी खसरा नम्बर 600, प्रदर्श–6 नकल जमाबन्दी 522, 502, 611, प्रदर्श–6 सम्वत 2065–68 पेश की गई।

वादी अधिवक्ता ने वादी के वाद के समर्थन में बहस के दौराने कथन कहे कि वादी कृष्ण कुमार सूरजभान व उसकी पत्नी चिडिया निवासी गादोज का जायज पुत्र है परन्तु वादी का पिता वादी के बच्चपन में ही फौत हो गया, जिस पर वादी की माता दिलसुख पुत्र ग्यारसा निवासी सौरखा कलां के नाते बैठ गई, तब से मिन वादी को दिलसुख ने अपना पुत्र मानते हुये अपने पास ही रख लिया था तथा दिलसुख ने ही वादी का पालन पोषण व पढाई लिखाई अपने पुत्र की तरह ही कराई थी, तथा दिलसुख को मिन वादी अपना पिता की तरह ही मानता था एवं सेवा टहल की और फौत होने के बाद उसके समस्त सामाजिक व धार्मिक किया कम भी मिन वादी ने किया था। मिन वादी के समस्त दस्तावेजात जैसें स्कूल में, राशन कार्ड में, वोटिंग लिस्ट आदि में कृष्ण कुमार पुत्र दिलसुख कुम्हार निवासी सौरखा कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर दर्ज है। तथा स्थायी रूप से यही निवास कर रहा हूँ। वादी दिलसुख की समस्त चल व अचल सम्पत्ति पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है तथा दिलसुख की अपने पिता की तरह सेवा टहल की है, जिससे दिलसुख खुश होकर मिन वादी के नाम अपनी समस्त आराजी की प्रदर्श– 01 अनुसार वसीयत दिनांक 20/9/2001 को उप पंजियक कार्यालय मुण्डावर से तस्दीक करा दी। जिसका अमल प्रदर्श–2 के अनुसार नामान्तकरण में दर्ज हो गया। हल्का पटवारी द्वारा उक्त वसियत का अमल कृष्ण पुत्र सुरजभान के नाम से कर दिया गया जो गलत है क्योकि वादी के समस्त दस्तावेजात में कृष्ण पुत्र दिलखुश कुम्हार निवासी सौरखा कलां दर्ज है। इसलिए वादी के वाद को स्वीकार कर विवादित आराजी में अंकित कृष्ण पुत्र सुरजभान कुम्हार निवासी गादोज तहसील बहरोड को हजफ कर उसके सीन पर कृष्ण पुत्र दिलखुश कुम्हार निवासी सौरखा कलां राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें।

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

वादी के वाद पत्र व दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर विवेचन इस प्रकार है कि पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात प्रदर्श–01 के अनुसार दिलखुश पुत्र ग्यारसा कुम्हार निवासी सोरखा कला द्वारा जरिये रजिस्टर्ड वसीयत कृष्ण पुत्र सुरजभान कुम्हार निवासी गादोज को की थी। उक्त रजिस्टर्ड वसीयत के अनुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हुआ है। परन्तु वर्तमान में वादी के समस्त दस्तावेजात में कृष्ण पुत्र दिलखुश दर्ज है। जिससे दुरूस्त किया जाना उचित है। पत्रावली में सलग्न रिपोर्ट पटवारी के अनुसार खसरा नम्बर 597, 600 में कृष्ण कुमार पुत्र सुरजभान ने अपना हिस्सा ईन्तकाल नम्बर 747 से बेचान कर दिया गया। इसलिए वादी के वाद को यह न्यायालय आराजी खसरा नम्बर 597 व 600 को छोडते हुए आंशिक स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार वादी के वाद को आंशिक स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में स्वीकर किया जाता है एवं हाल खसरा नम्बरान 717 रकबा 0.25 हैक0, 718 रकबा 0. 28 हैक० वाके ग्राम सौरखा कलां तहसील जिला अलवर में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विवादित आराजी खसरा नम्बर के राजस्व रिकोर्ड में दर्ज कृष्ण कुमार पुत्र सूरजभान कुम्हार निवासी गादोज तह० बहरोड को हजफ किया जाकर कृष्ण कुमार पुत्र दिलसुख कुम्हार निवासी सौरखा कलां को अमल दरामद किया जावें। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 18.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर वाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
...कर (खैरथल–तिजारा)

(सुरेश कुमार ब[illegible])
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार बलाई

वाद संख्या	दायर दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
83/2020	21.10.2020	18.02.2025

बउनवान

1. कृष्ण कुमार पुत्र दिलसुख जाति कुम्हार निवासी सौरखा कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: प्रतिवादी

दावा

इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज

धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: अन्तिम पर्चा डिक्री :—

वादी की ओर से रामावतार चौधरी एडवोकट की उपस्थिति एवं प्रतिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 18.02.2025 को श्री सुरेश कुमार बलाई, सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है:—

हाल खसरा नम्बरान 717 रकबा 0.25 हैक0, 718 रकबा 0.28 हैक० वाके ग्राम सौरखा कलां तहसील जिला अलवर में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विवादित आराजी खसरा नम्बर के राजस्व रिकोर्ड में दर्ज कृष्ण कुमार पुत्र सूरजभान कुम्हार निवासी गादोज तह० बहरोड को हजफ किया जाकर कृष्ण कुमार पुत्र दिलसुख कुम्हार निवासी सौरखा कलां को अमल दरामद किया जावें। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.02.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0